

133



निगशनी 2262.I 15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला-छतरपुर

जानकी प्रसाद पुत्र श्री छेदीलाल द्विवेदी  
निवासी- भवानीपुर, तहसील- चन्दला,  
जिला- छतरपुर (म.प्र.)

-आवेदक

विरुद्ध

- 1- गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री छेदीलाल द्विवेदी
- 2- वीरेन्द्र कुमार उर्फ बृजेश कुमार पुत्र श्री जानकी प्रसाद द्विवेदी
- 3- मिथला देवी पत्नी गोविन्द प्रसाद द्विवेदी
- 4- शकुन्तला पत्नी मुखिया उर्फ नीलकंठ द्विवेदी
- 5- गीता पत्नी सियाराम द्विवेदी
- 6- पूनम पत्नी वीरेन्द्र कुमार
- 7- गुड्डी पत्नी सुरेश कुमार द्विवेदी
- 8- रमा पत्नी तुलसी राम
- 9- कौशल्या देवी पत्नी रामेश्वर प्रसाद
- 10- अंशुल पुत्र श्री सियाराम
- 11- तेजराम पुत्र गिल्ले
- 12- रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री छेदीलाल
- 13- नीलकंठ पुत्र श्री छेदीलाल
- 14- जागेश्वर प्रसाद पुत्र श्री छेदीलाल
- 15- चन्द्रकली वेवा हल्केराम
- 16- सियाराम पुत्र श्री छेदीलाल
- 17- सुरेश कुमार पुत्र श्री छेदीलाल
- 18- कुशुम देवी पत्नी जानकी प्रसाद
- 19- गौरीबाई पुत्री छेदीलाल
- 20- तुलसीदास पुत्र श्री हल्केराम द्विवेदी
- 21- रोहित कुमार पुत्र श्री हल्केराम  
निवासी- भवानीपुर, तहसील- चन्दला,  
जिला- छतरपुर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, चन्दला द्वारा प्रकरण क्रमांक 749/बी-121 /2011-12A में  
30/3-27(2010-11)  
पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की  
धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदाता हेतु

खेमस-द्विवेदी ठा.दि.  
17-7-15

~~17-7-15~~

~~17/7/15~~

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 20162-एक/2015

जिला छतरपुर

जानकी

विरुद्ध

गोविन्द प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार चन्दला जिला छतरपुर के प्र० क्र० 749/बी-121/2011-12 एवं 30/अ-27/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12-11-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आर०के० जैन) सदस्य</p> <p>20/02/19</p>